

क्लाइमेट फाइनेंस रोड से COP29 तक

प्रलिस के लयः

[लॉस एंड डेमेज फंड, पार्टियों का सममेलन \(COP 28\)](#), नया सामूहक मातरात्मक लक्ष्य, [जीवाश्म ईधन](#)

मेन्स के लयः

जलवायु वतित और इसका महत्त्व, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा के कयों?

शर्म अल-शेख, मसिर में आयोजत [संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सममेलन](#) ने वकिसशील देशों में जलवायु आपदा क्षतपूरत के लयः एक [लॉस एंड डेमेज फंड](#) की स्थापना की ।

- [UNFCCC COP 28 \(दुबई\)- 2023](#) ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने का वादा करते हुए [जीवाश्म ईधन से संक्रमण पर ध्यान](#) केंद्रत कयः ।
- जैसे-जैसे बाकू में COP29 की तैयारी तेज होती जा रही है, ध्यान अब वतित संबंधी चर्चाओं, वशेष रूप से नए [सामूहक मातरात्मक लक्ष्य \(NCQG\)](#) पर केंद्रत कयः जा रहा है ।

नया सामूहक मातरात्मक लक्ष्य क्या है?

- NCQG एक नया वार्षक वततीय लक्ष्य है जसै वकिसतः देशों द्वारा [वकिसशील देशों को जलवायु वतित प्रदान करने के लयः वर्ष 2025 से पूरा करना होगा](#) ।
 - यह [प्रतः वरष 100 बलयः अमरीकी डॉलर](#) की पछिली प्रतबिद्धता का स्थान लेगा जसै वकिसतः देशों ने वर्ष 2009 में देने का वादा कयः था लेकनः पूरा करने में वफल रहे ।
- [नवंबर 2024 में बाकू, अजरबैजान में COP29 शखर सममेलन](#) में अंतमः NCQG राशा वारता का केंद्रीय बतु होने की उम्मीद है ।
 - NCQG वारता का उद्देश्य एक उच्च सामूहक राशा नरिधारतः करना है जसै वकिसतः देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रतः संवेदनशील गरीब देशों में शमन, अनुकूलन एवं अन्य जलवायु कार्रवाई प्रयासों के लयः सालाना जुटाने की आवश्यकता होगी ।
- वकिसशील देशों के लयः पर्याप्त NCQG आँकड़ा सुरक्षतः करना बेहद महत्त्वपूर्ण है, कयोंक [पर्याप्त जलवायु वतित की कमी](#) प्रभावी जलवायु योजनाओं को लागू करने एवं ग्लोबल वारमगः के [प्रभावों के वरुद्ध आघातसह बनाने में एक बड़ी बाधा](#) रही है ।

जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

UNFCCC द्वारा

समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
 - अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
 - स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
 - इसके अंतर्गत कोष- अल्प विकसित देश कोष (LDCF) और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)
- दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
 - कानकून समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
 - पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- लॉस एंज डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमजोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

विश्व बैंक के

अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
<ul style="list-style-type: none">राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	<ul style="list-style-type: none">कमजोर भारतीय राज्यों के लियेस्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को खत्म करनाUNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्यवैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है

जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।



//

प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिये कतिने धन की आवश्यकता है?

- वर्षिक विकासशील देशों में अपर्याप्त वित्तपोषण के कारण, वैश्विक जलवायु कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना करना पड़ रहा है।
- वार्षिक जलवायु वित्त प्रवाह वर्ष 2020 के बाद से विकसित देशों द्वारा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के वादे से काफी कम है।
- यदि वह राशि उपलब्ध भी होती, तो यह विश्व को वर्ष 2030 तक **1.5°C** मार्ग पर रखने के लिये आवश्यक धनराशि का केवल एक छोटा-सा अंश होगा।
- वर्तमान आकलन से पता चलता है कि वार्षिक वित्तीय आवश्यकताएँ कई खरबों डॉलर की हैं।
 - संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट- 2021 में अनुमान लगाया गया है कि विकासशील देशों को अपनी जलवायु कार्य योजनाओं को लागू करने के लिये वर्ष 2030 तक **सालाना लगभग 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की आवश्यकता होगी। अद्यतन रिपोर्टों से यह आँकड़ा बहुत हद तक बढ़ने की उम्मीद है।
 - शर्म अल-शेख में अंतिम समझौते में यह रेखांकित किया गया कि कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिये वर्ष 2050 तक वार्षिक 4-6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता हो सकती है।

- **अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संघ** के अनुसार, दुबई में सहमति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने पर वर्ष 2030 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आने का अनुमान है।
- इन अनुमानों को मिलाकर 5-7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक आवश्यकता का पता चलता है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5-7% के बराबर है, जो नषिक्रयिता की बढ़ती लागत को उजागर करता है।

एक यथार्थवादी नए वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य की संभावनाएँ

- परचिर्चा के तहत सटीक मात्रा वर्तमान में जनता के लिये गोपनीय है। पछिले प्रदर्शन को देखते हुए, यह अपेक्षा कि वकिसति देश काफी अधिक मात्रा में नविश हेतु प्रतबिद्ध है, अवास्तविक मानी जाती है।
- **भारत ने NCQG को मुख्य रूप से अनुदान और रधिययती वतित में प्रतविर्ष कम-से-कम 1** ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर नविश करने हेतु कहा है।
 - हालाँकि यह संभावना नहीं है कि वकिसति देश मूल्यांकन की गई आवश्यकताओं के करीब राशा के लिये प्रतबिद्ध होंगे, क्योंकि वे वार्षिक 100 बलियन अमेरिकी डॉलर भी जुटाने में वफिल रहे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परविरतन के कार्यकारी सचवि ने वकिसति देशों से जलवायु वतित को **"बड़ा और बेहतर"** बनाने का आग्रह किया है, जसिमें **"अरबों नहीं बल्कि खरबों"** की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।

जलवायु वित्त के संबंध में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **अपर्याप्त कोष:**
 - जलवायु परविरतन से नपिटने हेतु **आवश्यक धनराशा और जलवायु-संबंधित परयोजनाओं तथा पहलों के लिये उपलब्ध वास्तविक संसाधनों के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर** है।
 - कई वकिसशील देशों और कमज़ोर समुदायों के पास जलवायु वतित तक सीमति पहुँच है, जसिसे अनुकूलन तथा शमन उपायों को लागू करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है।
 - **UNFCCC** जैसे कई संगठन वर्तमान में आधे से भी कम वतित पोषति बजट के साथ गंभीर वतितीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- **महत्तवाकांक्षा का अभाव:**
 - वकिसति देश जलवायु संकट से नपिटने के लिये, विशेष रूप से वकिसशील देशों को अनुदान और रधिययती वतित प्रदान करने हेतु, आवश्यक वतित पोषण के पैमाने पर प्रतबिद्ध होने के लिये अनच्छुक रहे हैं।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:**
 - जलवायु वतित प्रतबिद्धताओं की वतिरण की नगिरानी और माप के लिये पारदर्शी तथा समावेशी प्रक्रयियों की आवश्यकता है, यह सुनश्चित करते हुए कि धन समान रूप से वतितरति किया जाए एवं प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।
- **समानता और न्याय सुनश्चित करना:**
 - जलवायु वतित के वतिरण और उपयोग में सबसे कमज़ोर समुदायों तथा हाशिए पर रहने वाले समूहों की ज़रूरतों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समानता व न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जो जलवायु परविरतन से असमान रूप से प्रभावित हैं।
- **नज़ी वतित जुटाना:**
 - जबकि वकिसति देशों से सार्वजनिक वतित महत्त्वपूर्ण है, नज़ी क्षेत्र के नविश को जुटाना और नवीन वतितीय साधनों का लाभ उठाना जलवायु वतित को बढ़ाने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- **क्षमता नरिमाण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:**
 - वकिसशील देशों द्वारा जलवायु कार्रवाई को प्रभावी ढंग से लागू करने और नमिन-कारबन उत्सर्जन वाले देशों के रूप में स्वयं को स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिये **जलवायु वतितपोषण में न केवल मौद्रिक समर्थन अपत्ति क्षमता नरिमाण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।**
- **ऋण का बोझ:**
 - जलवायु वतित आवश्यकताओं के कारण कई वकिसशील देशों का ऋण बोझ और अधिक बढ़ जाता है जसिसे जलवायु कार्रवाई के लिये आवश्यक नधि प्राप्त करने तथा उसे चुकाने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
- **आर्थिक प्रभाव:**
 - वैश्विक आर्थिक मंदी और प्रतसिपर्द्धी प्राथमिकताएँ वकिसति देशों के लिये जलवायु वतित के लिये महत्त्वपूर्ण संसाधन आवंटित करना चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरसि में UNFCCC की बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किये थे और यह वर्ष 2017 में प्रभावी होगा।

2. समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व-औद्योगिकी सत्रों से 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो।
3. विकसित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार किया और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिये वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष \$1000 बिलियन दान करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

प्रश्न. नवंबर, 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में सी.ओ.पी. 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, आरंभ की गई हारति ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिये। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह वचन पहली बार कब दिया गया था? (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/climate-finance-road-to-cop29>

